



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



CIN : L40101DL1989GOI038121

PGCIL/R/2019/50487

दिनांक: 2 December, 2019

Mohammed Jaffer Sheriff,
No. 3B/5, West Mada Street, Kaladipet, Chennai - 6,
Chennai, Pin: 600019, Tamilnadu

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 6 November, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।


उपरोक्त पत्र में बांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,
कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
"सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com
फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) व के.लो.सू. अधिकारी

Email id: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय : सूचना का अधिकार 2015 के तहत मुहम्मद जाफर शरीफ, चेन्नई के आवेदन के संबंध में -

कृपया मुहम्मद जाफर शरीफ, चेन्नई द्वारा सूचना का अधिकार के तहत किये गये आवेदन दिनांक 05.11.2019 पंजीकरण संख्या PGCIL/R/2019/50487 का संदर्भ लें। इस आवेदन में पूछे गये सभी प्रश्नों (सं- a, b, c एवं d) का जवाब निम्नलिखित है :-

Sr.	Question	Reply
a	What is the outcome of such investigation carried out by vigilance Commission?	The said investigation has been closed by Central Vigilance Commission.
b	If such Investigation is still proceeding then, what is the current status of the same?	Not applicable
c	If such allegations had been rejected, then kindly share the grounds of such rejection by the vigilance Commission	After examining the case, the Central Vigilance Commission has closed this case. No ground for rejection has been cited by the Commission.
d	Share the copy of any final order, if any passed by Vigilance Commission to this effect.	Information being fiduciary in nature is exempted from disclosure under Sec 8 (1) (e) of RTI Act 2005

रजिस्ट्रार 02/11/2019